न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–64/2019

मनजीतसिंह पुत्र श्री जगतारसिंह जाति रायसिख उम्र 43 वर्ष निवासी 48 जीबी रेडबग्गी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

––––वादी

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. राजेन्द्रकौर पत्नी रामकिशन उम्र–70 वर्ष
3. सुरजीतसिह पुत्र रामकिशन उम्र–40 वर्ष
4. हरदीपसिंह पुत्र रामकिशन उम्र–31 वर्ष

   अकवाम रायसिख निवासीगण चक 2 केएसएम तहसील अनूपगढ़
5. माया पत्नी मलकीतसिंह पुत्री रामकिशन जाति रायसिख उम्र 29 वर्ष निवासी चक 2 डी बी एल डबली राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–––––प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–19.07.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 2 के एस एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.18 पत्थर सं.281/396 के किला नम्बर 11/2 के 0.228 हैक्टर, 12, 19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.227 हैक्टर, 21/1 का 0.202 हैक्टर, 22/1 का 0.2270 हैक्टर कुल 1.390 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 16 पत्थर सं. 282/395 का किला नम्बर 1ता3 प्रत्येक सालम, 6/1 का 0.227 हैक्टर 6/2 का 0.026 हैक्टर खाला, 7ता 13 प्रत्येक सालम कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तदादी 4.173 हैक्टर कमाण्ड मय खाला वादी एवं प्रतिवादी सं. 2ता5 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी के नाम 0.991 हैक्टर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादी मनजीतसिंह के प्राकृतिक पिता का नाम रामकिशन था वादी के प्राकृतिक पिता रामकिशन की मृत्यू दिनांक 12.11.1989 को हो चुकी थी उस समय वादी की उम्र महज 11 वर्ष की थी वादी के प्राकृतिक पिता रामकिशन की मृत्यू उपरांत उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2ता5 व अन्य वारिसान को विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि वादी के प्राकृतिक पिता रामकिशन से प्राप्त होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मनजीतसिह पुत्र रामकिशन दर्ज हुआ। वादी यहां यह स्पष्ट करता है कि वादी के प्राकृतिक पिता रामकिशन का वर्ष 1989 में देहान्त हो गया था जिसके देहान्त उपरांत वादी की बुआ हरोबाई व फूफा जगतारसिंह वादी को अपने पास ले गई जिनके कोई पुत्र औलाद ना होने के कारण व वादी के प्राकृतिक पिता की भी मृत्यू हो चुकी थी जिस कारण परिस्थितियोंवश वादी अपनी बुआ व फुफा जगतारसिंह के पास रेडबग्गी में ही रहने लगा तथा प्यार व स्नेहवश वादी की बुआ व फुफा जगतारसिंह ने वादी को वादी की प्राकृतिक माता राजेन्द्रकौर से विधिवत रूप से समस्त रस्में अपनाकर गोद ले लिया था तत्पश्चात जगतारसिंह द्वारा वादी के प्राकृतिक पिता के नाम स्थान पर अपना नाम बतौर पिता रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जिस पर वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम मनजीतसिह पुत्र जगतारसिंह दर्ज हो गया तथा वर्तमान में वादी के समस्त रिकार्ड में दतक पिता जगतारसिंह का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित कृषि भूमि जो वादी के गोद जाने से पूर्व अपने प्राकृतिक पिता रामकिशन की मृत्यू उपरांत प्राप्त [illegible] इसलिए विवादित कृषि भूमि के खाता में वादी के अंकित नाम 0.991 हैक्टर भूमि जो [illegible] रामकिशन के नाम दर्ज है जिसे वादी मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह नाम से दर्ज करवाने [illegible] वादी निवेदन करता है कि मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन एवं मनजीतसिंह पुत्र [illegible] ही नाम है लेकिन वादी काफी अरसा पूर्व ही अपने प्राकृतिक पिता रामकिशन की मृत्यू उपरांत ठरो[illegible] एवं जगतारसिंह को गोद चला गया था जिस कारण तत्पश्चात वादी के अन्य समस्त रिकार्ड में वादी के पिता का नाम जगतारसिंह ही दर्ज है लेकिन उक्त भूमि के रिकार्ड में वादी के नाम के आगे प्राकृतिक पिता रामकिशन का नाम लिखा हुआ होने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है उक्त विवादित कृषि भूमि में से 0.991 हैक्टर भूमि का स्वामी वादी ही है इसलिऐ वादी उक्त भूमि के सम्बंध में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है कि मुरब्बा नम्बर 18 व 16 में दर्ज कुल कृषि भूमि में 0.991 हैक्टर भूमि जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

मनजीतसिह पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज है को मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह के नाम से दर्ज करावे। इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने दिनांक 24.5.2019 को प्रतिवादी सं. 01 तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुरब्बा नम्बर 18 व 16 के 0.991 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन दर्ज है जबकि वादी के अन्य समस्त रिकार्ड में वादी का नाम मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह है ऐसी जो भूमि मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज है उसे मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह के नाम से दर्ज करे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से इन्कार करते हुए कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं.2ता 5 से सहयोग करने का कहा तो उन्होने भी वादी का कोई सहयोग करने से मनाकर दिया बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या–2ता5 की तरफ से अधिवक्ता श्री बलदेवसिंह ने उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये राज पैरोकार राज. जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में उपरोक्त वाद रिकॉर्ड आधारित होना स्वीकार किया। वाद अनुतोष से सम्बन्धित होना स्वीकार किया।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया वादी वाद पत्र में वर्णीत कृषि भूमि के संबंध में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन के स्थान पर मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है?

——वादी

अनुतोष–

वादी ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत स्वयं एवं ठरीबाई पत्नी जगतारसिंह के शपथ पत्र पेश किये। पेरोकार राज द्वारा जिरह की गई। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 ए मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श–3 ए सरपंच, ग्राम पंचायत, बाण्डा का वारिस प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श–4ए मतदाता पहचान पत्र की प्रति, प्रदर्श–5ए आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श–6ए राशन कार्ड की प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 ता डीडब्ल्यू–4 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के शपथ पत्र पेश कर कोई एतराज नहीं जताया। पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादी का नाम मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन न होकर मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 के एस एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.18 पत्थर सं.281/[illegible] किला नम्बर 11/2 के 0.228 हैक्टर, 12, 19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.227 हैक्टर, 21/1 का [illegible] 22/1 का 0.2270 हैक्टर कुल 1.390 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 16 पत्थर सं. 282/395 का किला [illegible] प्रत्येक सालम, 6/1 का 0.227 हैक्टर 6/2 का 0.026 हैक्टर खाला, 7ता [illegible]3 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तदादी 4.173 हैक्टर कमाण्ड मय खाला में 0.991 [illegible]टर भूमि जो मनजीतसिंह पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज है, के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में मनजीतसिंह पुत्र जगतारसिंह का अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested